संख्या: / XVII-2/16-07(OBC)/2012

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 17 अगस्त, 2016

विषय: अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अभिभावकों की आय सीमा ₹ 12,000/–वार्षिक से बढ़ाकर ₹ 44,500/–किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (50 प्रतिशत केन्द्र सहायतित तथा 50 प्रतिशत राज्य सहायतित) उत्तराखण्ड राज्य में संचालित है। अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशानुसार अभिभावकों की आय सीमा ₹ 44,500/– वार्षिक निर्धारित है तथा उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3492/26–3–91–4(215)/90 दिनांक 04 अक्टूबर, 1991 में निर्धारित मानकों के अनुरूप राज्य द्वारा कक्षा–3 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसके अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की आय सीमा ₹ 12,000/– वार्षिक निर्धारित है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 1991 में यथावश्यक संशोधन करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश/मानक के अनुसार छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की आय सीमा ₹ 12,000/–वार्षिक से बढ़ाकर ₹ 44,500/– वार्षिक किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 1991 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए एवं उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्ते यथावत् लागू होगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0–920/XXVII(1)/2016 दिनांक 12 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

–2.....

New Computer g.o. letter

पृष्ठांकन संख्याः– 1131 (1) /XVII-2/16–07(OBC)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल, नैनीताल/पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।